



2026:CGHC:9399

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका क्रमांक-294/2026

- ◆ संजय कुमार केशरी पिता-स्वर्गीय बंशी प्रसाद केशरी, उम्र-लगभग 56 वर्ष, निवासी-ग्राम सुभाषनगर, महुआपारा, पुलिस थाना-गांधीनगर, तहसील-अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़

-----याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. खुमेशदास बंजारा पिता-महेश दास बंजारा, उम्र-लगभग 70 वर्ष, निवासी-ग्राम सुभाषनगर, महुआपारा, पुलिस थाना-गांधीनगर, तहसील-अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़
2. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा जिला-दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़

-----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा : श्री शक्ती राज सिन्हा, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक-1 द्वारा : कोई उपस्थित नहीं (सूचना पश्चात) ।
प्रत्यर्थी क्रमांक-2 द्वारा : श्री आकाश अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

23/02/2026



1. उभयपक्ष की सहमति से अंतिम तर्क सुने गए ।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-528 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका में, पुनरीक्षण न्यायालय-सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, सरगुजा द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक-98/2025 "संजय कुमार केशरी विरुद्ध खुमेशदास बंजारा एवं एक अन्य" में पारित अंतरिम आदेश दिनांक-15/01/2026 को चुनौती दी गई है । उक्त आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता के उस आवेदन को निरस्त किया गया, जिसके माध्यम से विचारण न्यायालय-अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, सरगुजा द्वारा प्रकरण क्रमांक-43/2025, धारा-152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, "खुमेशदास बंजारा विरुद्ध संजय केशरी" में पारित आदेश दिनांक-15/12/2025 के प्रभाव एवं निष्पादन पर स्थगन लगाए जाने का निवेदन किया गया था ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खुमेशदास बंजारा ने धारा-152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम सुभाषनगर, महुआपारा में याचिकाकर्ता संजय कुमार केशरी द्वारा उसके आवास के समीप सेवई एवं बेसन निर्माण की फैक्ट्री स्थापित कर क्षेत्र में अशांति उत्पन्न की जा रही है । उक्त फैक्ट्री से अत्यधिक शोर, कंपन, धूल एवं दुर्गंध फैल रही है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है । अतः उसे तत्काल बंद कराने का निवेदन किया गया ।
4. अभिलेख से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रारंभ में याचिकाकर्ता उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले रहा था, किंतु पश्चात् में उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उसे निर्देशित किया गया कि वैध लाइसेंस, ध्वनि प्रदूषण अनुमति, पर्यावरण विभाग की अनुमति, नगर एवं ग्राम नियोजन की स्वीकृति



तथा भूमि व्यपवर्तन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना उक्त परिसर में किसी भी मशीन अथवा वाणिज्यिक गतिविधि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा ।

5. याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई । आदेश-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि दिनांक-18/09/2025, 22/09/2025 एवं 24/09/2025 को पृथक-पृथक एवं परस्पर भिन्न आदेश-पत्र लिखे गए, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । उसने वाणिज्यिक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं । अतः प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।
6. प्रत्यर्थी क्रमांक-1 खुमेश दास बंजारा सूचना तामिल उपरांत उपस्थित नहीं हुआ है ।
7. राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक-2 राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि संबंधित भूमि आवासीय है, जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है । याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, किंतु अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया । विचारण न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित हैं । अतः याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।
8. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय-अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा तीन विभिन्न तिथियों पर दो-दो पृथक आदेश-पत्र लिखे गए तथा उन्हीं तिथियों पर याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पश्चात् में अंतिम आदेश पारित किया गया । उक्त अंतिम आदेश को पुनरीक्षण में चुनौती दी गई, किंतु



पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उस आदेश के प्रभाव एवं निष्पादन पर स्थगन प्रदान करने से इंकार कर दिया गया। परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण न्यायालय के उक्त प्रश्नाधीन आदेश के विरुद्ध यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

9. ऐसी परिस्थिति में यह देखते हुए कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा 2-3 अवसरों पर 2-2 भिन्न आदेश पत्र लिखे गये हैं व जांच कार्यवाही से सुनवाई में भ्रम की स्थिति रही है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि वह पुनरीक्षण पर बल नहीं देगा, तब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-528 के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाती है। फलस्वरूप, पुनरीक्षण न्यायालय का अंतरिम प्रश्नाधीन आदेश दिनांक-15/01/2026 तथा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक-15/12/2025 अपास्त किए जाते हैं।
10. विचारण न्यायालय-अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, सरगुजा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण को दिनांक-18/09/2025 की स्थिति से पुनः ग्रहण करते हुए याचिकाकर्ता संजय कुमार केशरी एवं प्रत्यर्थी खुमेश दास बंजारा, दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण एवं समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार शीघ्रतापूर्वक निराकरण करें।
11. याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक-13/03/2026 को विचारण न्यायालय-अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अंबिकापुर, सरगुजा के समक्ष उपस्थित रहें।
12. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय तथा पुनरीक्षण न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जाए।



13. उपरोक्तानुसार, इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका का निराकरण किया जाता है ।

सही / -

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन